न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–116 / 2014 दायर दिनांक: 20.08.2014

GCMS NO:- 2014/00050

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. गोपाल पुत्र खाना जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. धनराज पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–वादीगण–

बनाम

1. श्योकिशन पुत्र छीतर जाति बैरवा निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. भोमा पुत्र खाना जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. हरिशंकर पुत्र खाना जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. पुरूषोत्तम पुत्र किशनलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. हरगोविन्द पुत्र किशनलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. मथूरा बाई बेवा किशनलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. हनुमान पुत्र किशनलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. रामफूल पुत्र लाला जाति मीणा निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
9. लड्डूलाल पुत्र रामदेव जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
10. शंकरलाल पुत्र खाना जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
11. श्योजी पुत्र भोमा जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
12. लक्ष्मीनारायण पुत्र मोती जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
13. रामधन पुत्र मोती जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
14. रामदेव पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
15. श्योजीलाल पुत्र रामधन जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
16. शाखा प्रबन्धक, बून्दी चित्तौड ग्रामीण बैंक शाखा समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
17. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा नैनवॉतहसील नैनवां जिला बून्दी।
18. जिला कलक्टर महोदय, बून्दी जिला बून्दी।
19. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–प्रतिवादीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

वादीगण एवं प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 29.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम चावण्डपुरा पटवार मण्डल समिधी तहसील नैनवां की भूमि खसरा संख्या 278 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा स्थित है। यह कि ग्राम चावण्डपुरा पटवार मण्डल समिधी तहसील नैनवां की भूमि खसरा संख्या 212/09–13, 563/00–18, 632/05–09, 686/08–06 बिघा कुल किता 4 रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा स्थित है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादी गोपाल का हिस्सा 1/4 व चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 686 में वादी धनराज का हिस्सा 1/3 निहित है तथा वादीगण अपने हिस्सानुसार उक्त भूमि पर काबिज होकर शांति पूर्ण रूप से कृषि काश्त करते चले आ रहे है। यह कि वादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित अपने खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि में आने जाने व कृषि यंत्रों को लाने ले

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:20:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

...न हेतु खसरा संख्या 695 व 694 में होते हुए अपनी भूमि खसरा संख्या 278 व 686 में पहुंचते हैं। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट क में लाल रंग से दर्शाया है। यह कि प्रत्यार्थीगण 1 ने रास्ता तरमीम नहीं हाने के कारण गेती फावडे से खोद कर कांटे डाल कर रास्ता अवरूद्व कर दिया है। यह वाद का कारण है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा वादीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वादीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। वादीगण ने अपने वादी पत्र के समर्थन में परिशिष्ट क ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

प्रतिवादीगण 2, 4 लगायत 7 एवं 10 लगायत 11 ने इकबाली जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण का वाद मुताबिक वाद पत्र डिक्री कर दिये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 684 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा पर दूसरे से रकम उधार तथा बैंक से केसीसी का ऋण लेकर बडी धन राशि खर्च कर खसरा संख्या 684 के चारों ओर डोलबन्दी करवा रखी है ताकि खेत का पानी खेत में रहे, भूमि का कटाव न हो, बिना पानी की पिलाई के फसल हो सके तथा भूमि खेत सुरक्षित रहे।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार वादीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 278, 678, 684 तथा खसरा संख्या 694 उपयोग में आयेगी। यह कि खसरा संख्या 278 रकबा 3.0499 है0 में से 10•317= 3170 वर्गफीट, खसरा संख्या 678 रकबा 2.4998 में से 10•66= 660 वर्गफीट, खसरा संख्या 684 रकबा 2.5079 में से 10•1214= 12140 वर्गफीट तथा खसरा संख्या 694 रकबा 0.1780 में से 10•66= 660 वर्गफीट भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल 16630 वर्गफीट अर्थात रकबा 0.1546 है0 है।

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, जवाब प्रतिवादीगण, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट समीधी में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान की वाद पत्र में बहस सुनी गयी। वादीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में वादीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम चावण्डपुरा पटवार मण्डल समिधी तहसील नैनवां की भूमि खसरा संख्या 278 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा तथा ग्राम चावण्डपुरा पटवार मण्डल समिधी तहसील नैनवां की भूमि खसरा संख्या 212/09–13, 563/00–18, 632/05–09, 686/08–06 बिघा कुल किता 4 रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा स्थित भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 278 रकबा 3.0499 है0 में से 10•317= 3170 वर्गफीट, खसरा संख्या 678 रकबा 2.4998 में से 10•66= 660 वर्गफीट, खसरा संख्या 684 रकबा 2.5079 में से 10•1214= 12140 वर्गफीट तथा खसरा संख्या 694 रकबा 0.1780 में से 10•66= 660 वर्गफीट भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल 16630 वर्गफीट अर्थात रकबा 0.1546 है0 है। जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'अ' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:20:51 IST
Reason: SelfAttested